

‘बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.’



पंजीयन क्रमांक
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.’

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014 — ज्येष्ठ 16, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29-1. — छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्र शासन से परामर्श पश्चात् विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक SO-10, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला-रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

उक्त नियम में,-

(1) नियम 23 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(4) तौल उपकरण की यथार्थता का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग या एक टन, इसमें से जो भी कम हो, बराबर सम्यक् रूप से सत्यापित तथा मुद्रांकित बांटों को प्रत्येक तौल उपकरणों के स्थान में रखेगा और उपभोक्ता भी ऐसे तौल उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकेंगे।

परन्तु नियंत्रक उस व्यापार परिसर में, जहां तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक है, सत्यापित और मुद्रांकित बांट रखे जाने के लिये उनकी कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।”

(2) अनुसूची-ग्यारह में, अंतिम कॉलम के शीर्षक “राजीनामा शुल्क” के स्थान पर, शीर्षक “न्यूनतम राजीनामा शुल्क” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29-1/650. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंब्यक्त अधिसूचना दिनांक 06 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 6th June 2014

NOTIFICATION

No. F 10 -122/food/29-1.— The following draft amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, which the State Government propose to make, after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), is hereby published as required under sub-section (4) of Section 53 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of its publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Government of Chhattisgarh, Room Number SO-10, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

AMENDMENT

In the Rules,-

(1) For sub-rule (4) of rule 23, the following shall be substituted, namely :-

(4) To ensure a proper check of accuracy of a weighing instrument, the user shall keep at the site of each weighing instrument duly verified and stamped weight equal to one-tenth of the capacity of the instrument or One tonne, whichever is less, and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the numbers of weighing instruments are more than one.”

(2) In Schedule-XI, for heading “Compounding fine/amount” of the last column, the heading “Minimum compounding fees” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.